बिलासपुर विश्वविद्यालय,बिलासपुर (छ.ग.)

ग्राम एवं पोस्ट–सेंदरी,रतनपुर रोड,बिलासपुर (छ.ग.)

फोन:07752–214204,फैक्स–07752–260294

क्रमांक 606 /अका./2013 बिलासपुर,दिनांक 20/7/13

अधिसूचना

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा को शैक्षणिक सत्र 2013–14 के लिये नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

कमांक	विषय	छात्र संख्या
01/	बी.सी.ए.भाग–प्रथम	30

निर्धारित शर्तें:–

1. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक/अशैक्षणिक पदों पर परिनियम–28 के प्रावधानानुसार नियुक्ति की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जावे।
2. छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क. 137/आउशि/अशैप्र/2013रायपुर, दिनांक 31–05–2013 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि कम से कम 05 एकड़ महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता)विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जाय।
5. निजी महाविद्यालय में मूलभूत शैक्षणिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे तथा शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाये।
6. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था(स्थापना विनियमन) अधिनियम 2006, 2007 में निर्धारित शर्तों एवं निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करना होगा।
7. भवन निधि के रूप में राशि जमा कर विश्वविद्यालय को शीघ्र सूचित करें। इसी प्रकार इन्डोवमेंट फंड में भी नियमित रूप से राशि जमा करने की कार्यवाही तीन माह के अंदर की जावे।

......2..

कमला नेहरू महाविद्यालय
क्र. 3751
दिनांक 24/07/13
कोरबा (छ.ग.)

5-61

8. विश्वविद्यालय परिनियम–27 एवं 28 में निर्धारित प्रावधानों एवं शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जावे।

9. नवीन अशासकीय महाविद्यालय की स्थापना होने की स्थिति में तीन माह के अंदर गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाकर विश्वविद्यालय को सूचित किया जावे।

10. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुरूप ग्रंथालय में प्रत्येक विषय हेतु अलग–अलग शीर्षक की पुस्तकें क्रय की जावे साथ ही विषय के अनुरूप पृथक–पृथक प्रयोगशाला एवं पर्याप्त प्रायोगिक सामग्री / उपकरण की व्यवस्था की जावे।

12. अध्यापनरत् / नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम् अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय / शासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / संबंधित केन्द्रीय अभिकरण(यथा–ए.आई.सी.टी.ई. / एन.सी.टी.ई. / डी.सी.आई. / पी.सी.आई. / सी.सी.एच. / बी.सी.आई.......इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।

13. महाविद्यालय को उल्लेखित विषयों के लिये सत्र 2013–14 हेतु नवीन दर से सम्बद्धता शुल्क की राशि तत्काल चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर, पालन प्रतिवेदन शासन एवं विश्वविद्यालय को 31 अक्टूबर, 2013 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में प्रदान की गई अस्थाई सम्बद्धता सत्र 2014–15 में स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 607 / अका. / 2013 बिलासपुर, दिनांक 20/7/13

प्रतिलिपि:–

1. / कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. / आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय,शास.विज्ञान महा.परिसर,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. / प्राचार्य / अध्यक्ष, शासी निकाय,संबंधित महाविद्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि निर्धारित शर्तों की प्रतिपूर्ति 31 अक्टूबर, 2013 तक शासन एवं विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः उपलब्ध करावें।

कुलसचिव

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-214204, फैक्स 07752-260294, ई-मेल : bilaspuruniversity2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 266 /अका./2014 बिलासपुर दिनांक 19/2/2014

अधिसूचना

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुये **कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)** को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय की अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय / उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों का पालन करने के शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र.	कक्षा / विषय	सीट संख्या
1.	बी.लिब. आई.एस.सी. (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)	30

निर्धारित शर्तें:-

1. छ. ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाये।
2. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि यू.जी.सी. विनियम 2009 एवं 2012 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु ग्रंथालय में विषय के अनुरूप अलग-अलग शीर्षक की पुस्तकें क्रय की जावे साथ ही विषय के अनुरूप पृथक-पृथक प्रयोगशाला एवं पर्याप्त प्रायोगिक सामग्री एवं उपकरण की व्यवस्था की जावे।
5. अध्यापनरत्/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम् अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय/शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संबंधित केन्द्रीय अभिकरण (यथा-ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी.ई./डी.सी.आई./पी.सी.आई./सी.सी.एच./बी.सी.आई.......इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।
6. महाविद्यालय को किसी विषय की संबद्धता पूर्व में जिन शर्तों के साथ प्रदान किया गया है, उन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. महाविद्यालय को उल्लेखित विषय के लिये सत्र 2014-15 हेतु नवीन दर से सम्बद्धता शुल्क की राशि तत्काल चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।

3891
20/02/14

8. महाविद्यालय को परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु यू.जी.सी. /छ.ग. शासन के प्रावधानानुसार तत्काल पद विज्ञापित कर विश्वविद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन कराते हुये, नियुक्ति की कार्यवाही 30 मई 2014 तक पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

9. Appointement of teachers as per UGC norms.

10. Adequate number of text books & reference books, including DDC (not below 19th ed.) CC. 6th ed., CCC 5th ed., Sheass Lit., Precis by Austin.

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को 30 मई 2014 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा । अन्यथा की स्थिति में प्रदान की गई अस्थाई सम्बद्धता को समाप्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक 267 /अका./2014

बिलासपुर, दिनांक 19/2/2014

प्रतिलिपिः—

1./ कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2./ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

3/ प्राचार्य, कमला नेहरू महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-44/2014/38-2 रायपुर, दिनांक 31/01/2014
प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर,
विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ0ग0)

विषय :- कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा (छ.ग.) में वर्ष 2014-15 से नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति विषयक।

संदर्भ :- आपका जावक क्रमांक 17/आउशि, दिनांक 03.01.2014.

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2006 तथा छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) नियम, 2007 के प्रावधानों के तहत् निम्नानुसार नवीन विषय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	बी.बी.ए. (नवीन विषय)	20 सीट
02.	एम.एस-सी. - जंतु विज्ञान (नवीन विषय)	10 सीट

2/- उपरोक्त अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 पालन किया जावे।
2. परिनियम 28 के अंतर्गत जन्तु विज्ञान विषय एवं प्रबंध प्रशासन विषय हेतु 02-02 सहायक प्राध्यापक तथा आवश्यक अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जावे।
3. जंतु विज्ञान विषय की रू. 01 लाख की पुस्तकें एवं प्रबंध प्रशासन विषय की रू. 50 हजार की पुस्तकें क्रय की जावे।
4. स्नातकोत्तर स्तर की जंतु विज्ञान की एक अतिरिक्त प्रयोगशाला स्थापित की जावे जिसके लिए रू. 03 लाख के उपकरण क्रय की जावे।
5. नियमानुसार कायिक निधि एवं आवश्यक शुल्क जमा किया जावे।
6. बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किया जावे।
7. कंडिका 18 की पूर्ति की जावे।
8. शासन द्वारा जारी किया गया आदेश शैक्षणिक सत्र 2014-15 के लिये ही मान्य होगा।

3/- नियम एवं शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदान की गयी अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
31/1/14
(अरूण कुमार चांदे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
निरंतर....

AD (D)/O
4/2/14

G:\New Subject Order.docx

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक–सी 30, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्र. 314/आउशि/अशै.प्र./2015 रायपुर, दिनांक 12/03/2015

प्रति,

प्राचार्य
कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)

विषयः– वर्ष 2015–16 से स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अंतिम वर्ष की अनुमति बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र 102/14 दिनांक 04.04.2014

—00—

छ.ग. अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 के प्रावधानों के तहत आपके महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2015–16 में स्नातक स्तर पर बी.बी.ए. द्वितीय वर्ष एवं बी.सी.ए. तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर एम.एस.सी. जन्तुविज्ञान अंतिम वर्ष की कक्षा प्रारंभ करने की सशर्त अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की जावें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (एस)
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

E:\AD\ASP\2015-16\2nd & 3rd Year Permission 2015-16\Permission Order.doc

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752–220031, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : bilaspur.university2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 2026 /अका./2015 बिलासपुर दिनांक 14/5/15

आदेश

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, रायपुर की अनुमति के आधार पर के.एन. महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2015–16 से नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय के लिये अस्थाई सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र.	विषय / पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.बी.ए. भाग–दो (सभी अनिवार्य विषय)	20
2	बी.सी.ए. भाग–अंतिम (सभी अनिवार्य विषय)	30
3	एम.एस.सी. भाग–अंतिम (जन्तु विज्ञान)	10

निर्धारित शर्तें:–

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पत्र क्र.17–44/2014/38–2 रायपुर दिनांक 31.01.2014 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाये।
2. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि कम से कम 05 एकड़ महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे ।
4. महाविद्यालय को उल्लेखित विषयों के लिये सत्र 2015–16 हेतु नवीन दर से सम्बद्धता शुल्क की राशि तत्काल चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. परिनियम 28 के अंतर्गत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर, पालन प्रतिवेदन **30 जुलाई 2015** तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थाई संबद्धता आगामी सत्र से स्वमेंव समाप्त हो जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार,
कुलसचिव

पृ.क्रमांक 2027 /अका./2015 बिलासपुर, दिनांक 14/5/15
प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राचार्य, के.एन. महाविद्यालय, कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4130
18/05/15

कुलसचिव

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752-220031, फैक्स 07752-260294 ई-मेल : bilaspuruniversity.2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्र. 805 /अका./2014 बिलासपुर दिनांक 21.7.14

अधिसूचना

विश्वविद्यालय निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग,रायपुर की अनुमति के आधार पर कमला नेहरू महाविद्यालय,कोरबा जिला–कोरबा (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2014–15 से नीचे उल्लेखित कक्षा/विषय के लिये अस्थायी सम्बद्धता विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:–

क्र.	विषय	छात्र संख्या
01	एम.एस.सी.पूर्व–जन्तु विज्ञान	10
02	बी.बी.ए.भाग–प्रथम(सभी अनिवार्य विषय)	20
03	बी.सी.ए.भाग–दो (सभी अनिवार्य विषय)	30

निर्धारित शर्तें:–

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र.एफ.17–44/2014/38–2 रायपुर दिनांक 31.01.2014 एवं आउशि (संचालनालय) का पत्र कमाक–137 रायपुर,दिनांक 31–05–2013 में उल्लेखित शर्तों का पालन किया जाये।
2. अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे की भूमि कम से कम 05 एकड़ महाविद्यालय के नाम से होनी चाहिए।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को संबद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे ।
4. छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्थान (स्थापना विनियमन) अधिनियम 2006, 2007 में निर्धारित शर्तों व निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करना होगा ।
5. भवन निधि के रूप में राशि जमा कर विश्वविद्यालय को अवगत कराते हुये इंडोमेंट फंड में भी नियमित रूप से राशि तीन माँह के अंदर जमा करने की कार्यवाही किया जाना होगा ।
6. विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 में निर्धारित प्रावधानों एवं शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
7. अध्यापनरत/नियुक्ति हेतु शिक्षकों की न्यूनतम अर्हतायें वही होगी जो विश्वविद्यालय/शासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/संबंधित केन्द्रीय अभिकरण(यथा–ए.आई.सी.टी.ई./एन.सी.टी. ई./डी.सी.आई./पी.सी.आई./सी.सी.एच./बी.सी.आई........इत्यादि) द्वारा निर्धारित है।